कार्यालय आयुक्त, कोष एंव लेखा मध्यप्रदेश

पर्यावास भवन, ब्लॉक-अ, पंचम तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष:-0755-2676021,ई-मेल-ctamp@mptreasury.gov.in, dta_director@mptreasury.gov.in

क्र/बजट/ EF 54228 /2024/568 भोपाल, दिनांक :21/03/2024

प्रति,

समस्त कोषालय अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :- मार्च 2024 के अंतिम कार्य दिवसों में देयक की प्रस्तुति एंव भुगतान हेतु कोषालय में व्यवस्था

ooooo

विषयान्तर्गत मार्च 2024 के कलेंण्डर अनुसार 29 मार्च शुक्रवार को गुड फाईडे, 30 मार्च शनिवार एवं 31 मार्च रविवार को शासकीय अवकाश होने के कारण एवं कोषालयों में देयकों की प्रस्तुति एवं कोषालयों द्वारा परीक्षण एवं भुगतान प्रक्रिया के समुचित प्रबंधन की दृष्टि से निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :-

2/- दिनांक 27.03.2024 के पश्चात निम्न प्रकार के देयकों को <u>छोडकर</u> अन्य कोई देयक कोषालय में स्वीकार नहीं किये जायेंगे :-

a) वेतन, वेतन एरियर्स, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता देयक, विद्युत, दूरभाष देयक, पेट्रोल, तेल (POL) आदि एवं पेंशन स्वत्व, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गोपनीय सेवा, परीक्षा एवं प्रशिक्षण (वेतन से तात्पर्य नियमित वेतन के साथ-साथ मजदूरी वेतन, मानदेयी, मानसेवी वेतन, आंगनवाडी, कोटवार, होमगार्डस आदि का वेतन भी शामिल है, जिसमें कर्मचारी को सीधे उनके बैंक खाते में यह वेतन जमा होता हो, बीच में किसी संस्था के माध्यम का उपयोग मान्य नहीं होगा)।

b) समस्त प्रकार के Scholarship, Stipend देयक।

c) Ex- gratia एवं GST Refund के देयक।

d) दिनांक 27.03.2024 तक प्रस्तुत किए जा चुके देयक जो आपत्ति में वापस किए गए हो।

e) केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं / केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं / 15वें वित्त आयोग से संबंधित देयक।

f) देयक जिनके आहरण के लिये वित्त विभाग दिनांक 27.03.2024 या उसके पश्चात स्वीकृति जारी की गई हो।

g) पूंजीगत व्यय से संबंधित देयक।

h) धनवेष्ठन/ निवेश, ऋण अदायगी, ऋण तथा अग्रिम, एन्यूटी, मूल्य हास एवं अंतर लेखा अन्तरण आदि

3/- IFMIS में भुगतान प्रणाली और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये ई-कुबेर, NPCI, SBI इत्यादि के साथ इंट्रीगेशन किया गया है, साथ ही देयकों के ई-मुद्रा के साथ ई-साईन हेतु इंट्रीगेशन किया गया है। अत: कोषालय के माध्यम से देयकों का भुगतान प्रक्रिया में Multiple Servers की आवश्यकताओं जैसे आधार आधारित भुगतान प्रणाली (AePS), E-Payment हेतु Bank Servers, RBI- E-Kuber system, e-sign एवं 30.03.24 एवं 31.03.24 को शासकीय अवकाश के कारण कंडिका 2 में उल्लेखित देयकों हेतु

सुविधा केवल 30.03.24 तक उपलब्ध रहेगी। अन्य देयक केवल वित्त विभाग / आयुक्त कोष एवं लेखा की विशेष अनुमति से स्वीकार किये जा सकेंगे।

4/- दिनांक 30.03.2024 को रात्रि 12.00 बजे के पश्चात निम्न प्रकार के देयकों को छोडकर अन्य कोई देयक कोषालयों में स्वीकार नहीं किये जायेंगे :-

(a) दिनांक 27.03.2024 तक प्रस्तुत किए जा चुके देयक जो आपत्ति में वापस किए गए हो।

(b) केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं / केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं / 15वें वित्त आयोग से संबंधित देयक।

(c) देयक जिनके आहरण के लिये वित्त विभाग दिनांक 27.03.2024 या उसके पश्चात स्वीकृति जारी की गई हो।

(d) पूंजीगत व्यय से संबंधित देयक।

(e) अन्य देयक केवल वित्त विभाग / आयुक्त कोष एवं लेखा की विशेष अनुमति से स्वीकार किये जा सकेंगे

5/ देयकों के परीक्षण एवं भुगतान में तत्परता बरती जाए एवं प्रयास किये जाए कि दिनांक 28.03.2024 तक प्रस्तुत किए गए देयक उसी दिनांक को ही निराकृत हो जाए ताकि 29.03.2024, 30.03.2024 एवं 31.03.2024 को शासकीय अवकाश होने के कारण शेष बचे देयकों के निराकरण में आसानी हो सकें।

6/- कोषालय में प्रस्तुत किए जा चुके देयकों में से कोई देयक अंतिम कार्य दिवस 31.03.2024 के अंत में लंबित न रहे यह सुनिश्चित किया जाए।

7/- ई-भुगतान में कठिनाई न हो, अतः प्रत्येक कार्य दिवस पर E-file बनाई जाए एवं कोई भी E-file दिनांक 31.3.24 के लिये schedule नहीं किया जाए। इस हेतु दिनांक 31.3.2024 को भी समय समय पर ई-फाईल जनरेट की जाए एवं अपलोड-ऑथराईज की जाये। अपलोड की जा चुकी ई-फाईल की जानकारी पंजी में दर्ज की जाए ताकि यह संज्ञान में रहे कि कौन-कौन सी ई-फाईल अपलोड की जा चुकी है। ई-कुबेर एवं RBI से संबंधित कोई भी ई-फाईल रात्रि 10:00 बजे के बाद जनरेट नहीं किया जाए।

8/- एस.बी.आई के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली Aadhar Based एंव Account Based E-file भी प्रत्येक दिवस को अपरान्ह 4.00 बजे के पूर्व प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए। दिनांक 31.3.2024 को समस्त फाईल सांय 6.00 बजे के पूर्व प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

9/- ई-कुबेर एवं एस.बी.आई की कोई भी ई- फाईल 31.03.24 के पश्चात Schedule नहीं किया जाए।

10/- प्रदेश के समस्त कोषालय दिनांक 23.03.2024 (शनिवार), 29.03.24 (गुड फ्राईडे) 30.03.2024 (शनिवार) एवं 31.03.24 (रविवार) को खुले रहेंगे। कोषालय अधिकारी एवं देयक भुगतान तथा फाईल जनरेशन से संबंधित समस्त कर्मचारी इन आवकाश के दिनों में भी अनिवार्य रुप से उपस्थित रहेंगे।

11/- दिनांक 21.03.2024 से 31.03.2024 तक देयकों के भुगतान से संबंधित कोई अधिकारी/ कर्मचारी को अवकाश अनुमत्य नहीं होगा।

12/- उक्त निर्देशों की जानकारी समस्त आहरण अधिकारियों/ बैंक शाखाओं एवं निर्माण विभागों के आहरण अधिकारियों को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। आहरण अधिकारी को लेख करें कि देयक जो उनके द्वारा

जनरेट कर रख लिए गए है उन्हें या तो कोषालय में प्रस्तुत करें या उन्हें रिजेक्ट करें ताकि देयकों के कारण ब्लॉक हो चुके बजट का उपयोग संभव हो सकें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

(प्रमुख सचिव, वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित)

(ज्ञानेश्वर बी पाटील)
आयुक्त
कोष एवं लेखा

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल
2. रजिस्ट्रार जनरल म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) प्रथम ग्वालियर म.प्र.
4. समस्त विभागाध्यक्ष म.प्र. की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवश्यक अनुवर्ती निर्देश दिए जाने का कष्ट करें।
5. संचालक बजट, म.प्र. शासन वित्त विभाग।
6. उपमहाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई सेंट्रल रेल्वे स्टेशन के सामने, भायखला, मुम्बई 400008
7. उपमहाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल।
8. सहायक महाप्रबंधक (GBU) , भारतीय स्टेट बैंक, लोकल हेड आफिस, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त कलेक्टर्स मध्यप्रदेश
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कोष एंव लेखा मध्यप्रदेश
11. सप्लयार प्रतिनिधि, मेसर्स टीसीएस लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(ज्ञानेश्वर बी पाटील)
आयुक्त
कोष एवं लेखा